

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1499] No. 1499] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2019/वैशाख 12, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2019/VAISAKHA 12, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2019

का.आ. 1687(अ).—यतः, मै. बंगाल शापुर्जी डेवलपर्स प्रा० लिमिटेड, ने पश्चिम बंगाल राज्य में प्लॉट सं III-एफ / 1, एक्शन एरिया-III, न्यू टाउन, कोलकत्ता में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2100(अ) दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 20.2345 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसुचित कर दिया था;

और यतः, मै. बंगाल शापुर्जी डेवलपर्स प्रा० लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 20.2345 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनिधसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, ओडिशा सरकार ने उनके पत्र सं. 26-सी आई/ओ/आई पी आई/जी ई एन-एम आई एस/43/2016 दिनांक 21 जनवरी, 2019 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, फाल्टा एस ई जेड ने विशेष आर्थिक जोन के 20.2345 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनिधसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अत: अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोडकर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 2/349/2006-एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

2337 GI/2019 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2019

S.O. 1687(E).—WHEREAS, M/s. Bengal Shapoorji Developers Pvt. Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Plot No. III-F/1, Action Area-III, New Town, Kolkata, in the State of West Bengal;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 20.2345 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2100(E) dated 5th December, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Bengal Shapoorji Developers Pvt. Limited has now proposed to de-notify entire area of 20.2345 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of West Bengal has given its "No Objection" to the proposal vide letter No.26-CI/O/IPI/GEN-MIS/43/2016 dated 21th January, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Falta Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 20.2345 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/349/2006-SEZ]B.B. SWAIN, Addl. Secy.